सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन प्रदेश में 388 रक्तदान शिविर

8,684 नागरिकों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का दिया संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। अभियान के तहत प्रदेशभर में 388 शिविर लगाए गए, जिनमें 8 हजार 684 नागरिकों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया।शिविरों के साथ रक्तदान के प्रति जनजागरूकता, शपथ और अन्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। रक्तदाताओं का पंजीयन और रक्तदान से जुड़ी जानकारी ई-रक्तकोष पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों ने रक्तदान के माध्यम से मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़कर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों से जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग करने का आह्वान किया है।

खास-खबरें

मीटर बायपास कर 5.90 लाख की बिजली चोरी

भोपाल। जहांगीराबाद के जोगीपुरा क्षेत्र में विद्युत चोरी का मामला सामने आया है। सतर्कता दल के निरीक्षण के दौरान श्री मोहम्मद जुबेर के परिसर में स्थापित ऊर्जा मीटर को बायपास कर बिजली का उपयोग किया जाना पाया गया। जांच में पाया गया कि मीटर से विद्युत ऊर्जा का समुचित पंजीयन नहीं हो रहा था और इस तरह विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। उपभोक्ता के कनेक्शन की स्वीकृत भार क्षमता 5 किलोवाट है, जबकि निरीक्षण के दौरान परिसर में 13.52 किलोवाट का विद्युत भार पाया गया। अनियमितता मिलने पर सतर्कता दल ने मौके पर विद्युत चोरी का प्रकरण तैयार किया। मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में कुल 5.90 लाख रुपये की आकलित राशि निर्धारित की गई है।

टीईटी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर निर्धारित थी। गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब तक 19,100 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। परीक्षा दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कराए जाने की संभावना है।

स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के करीब डेढ़ लाख शिक्षक परीक्षा के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने टीईटी कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी है।

परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों के जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल कर्मचारी चयन मंडल के पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करेगा, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या तय करने पर ध्यान दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी।

बुंदेलखंड के विकास को नई गति देने में जुटी सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन तकनीक और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉ. यादव राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर सागर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़े और संबोधित किया। सरकार का प्रयास है कि खेती को लाभ का माध्यम बनाने के साथ किसानों की आय के अन्य स्रोतों को भी मजबूत किया जाए।

फाइन शार्पिंग शॉप की आड़ में अवैध हथियार बनाने का खुलासा, संचालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के तलैया थाना क्षेत्र के बुधवारा इलाके में फाइन शार्पिंग शॉप की आड़ में अवैध हथियार बनाने और बेचने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दुकान पर दबिश देकर 12 बड़ी धारदार लोहे की छुरियां, छह मूठ लगी बिना धार की ब्लेड और सात अन्य कच्ची ब्लेड जब्त की हैं। पुलिस ने दुकान संचालक रफत अली (40) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1एए) के तहत मामला दर्ज किया है।

क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बैंड मास्टर तिराहा के आगे बुधवारा में संचालित दुकान में धारदार छुरियां बनाई और बेची जा रही हैं। सूचना के आधार पर टीम ने दुकान की तलाशी ली। इस दौरान तैयार हथियारों के साथ उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और अन्य सामान भी मिला। पुलिस ने दुकान से जमीन में स्थायी रूप से लगी बड़ी ग्राइंडर मशीन, धार लगाने की मशीन, ड्रिल मशीन, बड़ा कटर, हैंड ग्राइंडर और दो इलेक्ट्रिक मोटर जब्त की हैं। इसके अलावा हथौड़ी, निहाई, छैनी, आरी और प्लास सहित छुरियों की मूठ में इस्तेमाल होने वाले 50 रिपिट और फाइबर भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, दुकान संचालक से धारदार हथियारों के निर्माण और बिक्री से संबंधित लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ऐशबाग क्षेत्र का रहने वाला है और आठवीं तक पढ़ा है। पुलिस अब पता लगा रही है कि वह कितने समय से हथियार बना रहा था और इनकी आपूर्ति किन लोगों को करता था।

बरकतउल्ला विवि का दीक्षांत समारोह आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शुक्रवार, 18 सितंबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में आयोजित किया गया है। समारोह सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मध्यप्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगुभाई पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति प्रोफेसर के. रंगराजन दीक्षांत भाषण देंगे। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, अनुपम राजन दीक्षांत उपदेश देंगे।

समारोह में पीएचडी उपाधियों के साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कुलाधिपति द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में स्वागत भाषण, दीक्षांत शोभायात्रा, राष्ट्रगान, दीप प्रज्ज्वलन और अतिथियों के संबोधन सहित विभिन्न आयोजन होंगे।

तन्खा ने की नितिन गडकरी की तारीफ

नप्र, भोपाल : शहपुरा आरओबी की क्षतिग्रस्त एप्रोच के कारण जबलपुर-भोपाल मार्ग पर यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने 17 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। तन्खा के अनुसार पत्र मिलने के करीब पांच मिनट बाद ही गडकरी का फोन आया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। गडकरी के त्वरित जवाब पर तन्खा ने एक्स पर उनकी तारीफ की। तन्खा ने पत्र में बताया कि जबलपुर से हिरण नदी तक 55.60 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शहपुरा स्थित आरओबी की दाईं एप्रोच 9 सितंबर 2025 और बाईं एप्रोच 22 फरवरी 2026 को क्षतिग्रस्त हो गई थी।

राज्यपाल को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, पद पर बने रहेंगे

नए उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहेंगे मौजूदा राज्यपाल

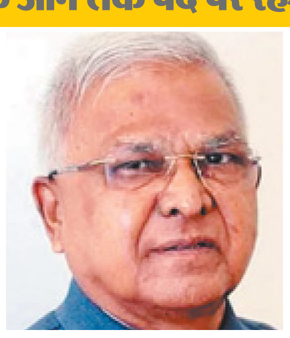

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नए राज्यपाल के पदभार संभालने तक मौजूदा राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यपाल का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता।

यह फैसला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। याचिका जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा राज्यपाल का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसलिए उन्हें पद से हटाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका दायर करने की पात्रता और सामाजिक साख से संबंधित पहलुओं पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नियम, 2008 के तहत जनहित याचिका दायर करने के लिए आवश्यक अपनी सामाजिक साख और जनहितकारी पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया था।

मामले में संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 156(3) का उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक मौजूदा राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं। इसका उद्देश्य संवैधानिक शून्य की स्थिति को रोकना है। खंडपीठ ने 1969 के कृष्णा बल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। इसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हीं आधारों पर याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया।

संपर्क अभियान में 5,601 शिविरों के माध्यम से 2.46 लाख शिकायतों का निराकरण

बिजली उपभोक्ताओं को घर के पास मिला समाधान, भोपाल और ग्वालियर रीजन में अभियान सफल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 5,601 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 2 लाख 46 हजार 297 बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

14 मई से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर भोपाल में 421 शिविरों में 25,736 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल में 506 शिविरों में 30,838, भोपाल में 276 शिविरों में 10,412, हरदा में 150 शिविरों में 18,742 और नर्मदापुरम में 399 शिविरों में 30,512 शिकायतों का समाधान किया गया। ग्वालियर रीजन में भी अभियान के तहत उपभोक्ताओं को राहत मिली। ग्वालियर शहर में 331 शिविरों में 7,755 शिकायतों का निराकरण किया गया। मुरैना में 437 शिविरों में 18,180 और शिवपुरी में 372 शिविरों में 7,985 शिकायतों का समाधान किया गया।

शिविरों में खराब मीटर, बिल संबंधी शिकायतें, मीटर रीडिंग, नाम परिवर्तन, भार वृद्धि, ई-केवाईसी, एनओसी, स्मार्ट मीटर, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज और ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके अलावा नए ग्रामीण घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।